



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-27082024-256668
CG-AP-E-27082024-256668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]
No. 665]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक

अधिसूचना

वारंगल, 30 जुलाई, 2024

सं. एपीजीवीबी-से.वि-संशोधन/2024.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक मंडल, प्रायोजक बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्वारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- (1) इन विनियमों को आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा.
- (2) ये संशोधन, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे.
2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 61 के उप-विनियमन (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) विशेषाधिकार अवकाश 270 दिनों से अधिक तक का नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

वशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिन के लिए ही किया जा सकेगा।”

3. उक्त विनियमों के विनियम 67 के,-

क) दूसरे प्रावधान में, “बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त” शब्दों के बाद, “विनियमन 11 के प्रावधानों के अंतर्गत” शब्द सम्मिलित किए जाएंगे;

ख) तीसरे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, यथा:-

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि उस कर्मचारी के संबंध में जिसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त कर दी जाती हैं, वह विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो उसने विनियमन 61 के उप-विनियमन (4) के अधीन जमा कर रखा था।”

ग) तीसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा,-

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी का नाम) पेंशन विनियम, 2018 के विनियमन 27 के उप-विनियम (1) और (2) के तहत विधिवत् नोटिस देने के बाद अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपने द्वारा विनियम 61 के उप-विनियम (4) के अधीन संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, जिसमें दंड भी शामिल है, वह विनियमन 61 के उप-विनियम (4) के अधीन, किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या काम पर आना बंद कर देता है या विनियम 10 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के तहत पदत्याग कर देता है, तो वह सेवा की समाप्ति की तिथि को उसके खाते में जमा विशेषाधिकार छुट्टी की आधी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यह अवधि अधिकतम 120 दिन तक की ही हो सकती है।”

के. प्रताप रेड्डी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./434/2024-25]

नोट : आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2010 को दिनांक 22 सितंबर, 2010 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 20 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 241 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 02 नवंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 490 द्वारा संशोधित किया गया था।

ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK

NOTIFICATION

Warangal, the 30th July, 2024

No. APGVB – SR – Amendment/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with sub-section (1) of Section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank** after consultation with **State Bank of India**, being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010**, namely:-

1. (1) These Regulations may be called **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank** (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as said regulations), in the regulations 61 for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days, except where leave has been applied for and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days."

3. In the said regulations, in regulation 67,-

(a) In second proviso, after the words "retires from the service of the Bank", the words "under the provisions of regulation 11" shall be inserted;

(b) For third Proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61."

(c) After third proviso, the following provisos shall be inserted, namely,-

"Provided also that where an officer or employee voluntarily retires from service on or after the 1st of April 2018, after giving due notice under sub-regulations (1) and (2) of regulation 27 of the **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank** (Employees) Pension Regulations, 2018, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee leaves or discontinues from service or resigns under the provisions of sub-regulation (1) of regulation 10, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days."

K. PRATHAPA REDDY, Chairman

[ADVT.-III/4/Exy./434/2024-25]

Note : The **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank** (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 were published in the Gazette of India, Part III, section 4, dated the **22nd September, 2010**, vide notification number **241** dated the **20th September, 2010** and subsequently amended vide notification number **490** dated the **02nd November, 2018**.